भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5233

03.04.2023 को उत्तर के लिए

नदी तटों पर कचरे का पाटन

5233. श्री दिलीप शइकीया:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में सभी नदी तटों विशेषकर उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र, महाराष्ट्र में मुला मुथा और चंद्रभागा तथा गुजरात में नर्मदा को पाटन और कचरे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उक्त नदी तटों को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण अनुकूल स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को नए निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) जल राज्य का विषय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय निकायों और औद्योगिक इकाइयों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार मल-जल और औद्योगिक बहिस्रावों को जलाशयों, समुद्र या भूमि में निस्सरण करने से पूर्व अपेक्षित शोधन सुनिश्चित करें। नदियों की सफाई और पुन:बहाली सतत कार्यकलाप हैं। नदियों के संरक्षण के लिए, जलशक्ति मंत्रालय, गंगा बेसिन में नदियों के लिए 'नमामि गंगे' की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से देश में नदियों के अभिज्ञात खंडों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एनआरसीपी के तहत विचार के लिए समय-समय पर प्रदूषित नदी के किनारों पर स्थित शहरों में प्रदूषण कम करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, और उन्हें प्राथमिकता, एनआरसीपी दिशानिर्देशों के अनुरूप होने, धन की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय नदी

संरक्षण योजना (एनआरसीपी) संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने के आधार पर विभिन्न नदियों (गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के चिन्हित हिस्सों में प्रदूषण को कम करने के लिए कच्चे सीवेज को रोकने एवं उनके बहाव की दिशा बदलने, सीवरेज सिस्टम के निर्माण, मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत वाली सफाई व्यवस्था, रिवर फ्रंट/स्नान घाट विकास आदि से संबंधित विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2018 के दौरान अभिज्ञात किए गए 351 प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प के लिए, सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए सभी प्रदूषित नदी खंडों को स्नान के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव, पर्यावरण के समग्र पर्यवेक्षण एवं समन्वय के तहत संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित ''नदी संरक्षण समिति'' (आरसीसी) द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की गई थीं।

तैयार की गई योजनाओं में स्रोत नियंत्रण (नगरपालिका सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन), नदी जलग्रहण क्षेत्र/बेसिन प्रबंधन (अच्छी सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, उपचारित सीवेज का उपयोग, भूजल पुनर्भरण पहलू), बाढ़ मैदानी क्षेत्र संरक्षण और इसका प्रबंधन (जैव-विविधता पार्कों की स्थापना, अतिक्रमण हटाना, वर्षा जल संचयन, नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण), पारिस्थितिक/पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) और वाटरशेड प्रबंधन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

प्रदूषित नदी खंडों के संरक्षण संबंधी समयबद्ध कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के विभागों/संघ राज्य प्रशासन के विभागों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव, पर्यावरण के समग्र पर्यवेक्षण एवं समन्वय के तहत सौंपी गई है। समग्र उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों पर है।

कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर नदी संरक्षण समिति (आरआरसी) द्वारा और केन्द्रीय स्तर पर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

******